ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-11*December- 2021
Innovation The Research Concept

महिला सशक्तिकरण
Women Empowerment

Paper Submission: 08/12/2021, Date of Acceptance: 19/12/2021, Date of Publication: 24/12/2021

अंजना देवी
विभागाध्यक्ष,
बी. एड. विभाग
स्वामी विवेकानन्द
महाविद्यालय प्रबंध एवं
प्रौद्योगिकी,
हल्द्वानी,उत्तराखंड, भारत

सारांश

प्रत्येक विकसित समाज के निमार्ण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता अनिवार्य है, अगर भावी पीढ़ी को विकास के मार्ग पर लेकर जाना है, सफलता की बुलंदियों को छूना है तो ये कार्य केवल पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें महिलाओं की भी पुरुष के समान अहम भूमिका है और महिलाएँ इस भूमिका का निर्वहन तब कर सकती है जब उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिये जाएंगे, अगर समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित ही समाज विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा, आज भी हमारे देश में नारियों की क्या स्थिति है इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक और समाज आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ रहा है तो दूसरी ओर अभी भी महिलाएं घर की चार दिवारों में कैद है हमारे देश में अभी भी कई क्षेत्र ऐसे है जहाँ महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तक नहीं है, कुछ प्रतिशत महिलाएँ है जो शिक्षित हैं तथा उनको अपने निर्णय लेने का अधिकार हैं। अगर हमें सही मायने में समाज एवं राष्ट्र का विकास करना है तो महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है और यह तभी सम्भव होगा जब शिक्षा द्वारा इनको इनकी शक्ति व अधिकारों से परिचित करवाया जाऐगा, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो महिला सशक्तिकर के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर महिलाओं को सशक्त व जागरूक बना सकती है।

In the construction of every developed society, the participation of both men and women is essential, if the future generation is to be taken on the path of development, to touch the heights of success, then this work is not only the responsibility of men, but women are also equal to men. There is an important role and women can play this role when they will be given equal rights as men, if women empowerment is promoted in the society, then the society will definitely move on the path of development, even today what about women in our country. The situation can be gauged from the fact that while another society is progressing in the era of modernity, on the other hand women are still imprisoned in the four walls of the house. There are still many areas in our country where women are They do not even have the right to get education, there are some percentage of women who are educated and have the right to make their own decisions. If we have to develop the society and the nation in the true sense, then it is necessary to empower women and this will be possible only when they are made aware of their power and rights through education, education is the only means which can come in the path of women empowerment. By removing the barriers, women can be empowered and aware.

मुख्य शब्दः महिला सशक्तिकरण, महिला सहनशक्ति ।

Keywords: Women Empowerment, Women Stamina

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय

महिला सशक्तिकरण को अगर हम साधारण शब्दों में परिभाषित करें तो उसका अभिप्राय महिलाओं को शक्तिशाली बनाने से है जिस से वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बन सके, अपने परिवार व समाज के विकास में अपनी पूर्ण सहभागिता दे सके, प्राचीन समय में जिस प्रकार सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार केवल पुरुष वर्ग के पास सुरक्षित होते थे. महिलाओं को अपने निर्णय लेने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी परन्तु आज आवश्यकता है इस परिवर्तन की कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिये जाय तभी महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सकता है और समाज तथा राष्ट्र सही मायने में विकास कर पाएंगे,

स्त्री को ही सृजन एवं शक्ति प्रतीक माना जाता है अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना जाता है। इस सृजन शक्ति को विकसित परिष्कृत कर उसे सामाजिक, - आर्थिक राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता एवं अवसर की समानता प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

भारत में महिला सहनशक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

भारतीय समाज एक ऐसा समाज है, जिसमें कई तरह रिवाज़ों, मान्यता और परम्पराओं शामिल हैं। इनमें से कुछ पुरानी मान्यता और परम्पराएँ ऐसी भी हैं जो भारत में महिला सहनशक्ति के लिए बाधा सिद्ध होती हैं। उन्हीं बाधाओं में से कुछ निम्नमध्यम हैं-

1. पुरानी और रुढ़िवादी विचारधारा के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नही होती है।
2. पुरानी और रूढ़ीवादी विचारधाराओं के वातावरण में रहने के कारण महिलाएँ खुद को पुरुषों से कम समझने लगती हैं और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती हैं।
3. कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। नीजी क्षेत्र जैसे सेवा उद्योग, साफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
4. समाज में पुरुष प्रधनता के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न होती है। पिछले कुछ समय में कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़नों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है और पिछले कुछ दशकों में लगभग 170 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है।
5. भारत में अभी भी कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ लैंगिग स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। कई सारे क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की भी इजाजत नही होती है। इसके साथ ही उन्हें आजादीपूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आजादी नही होती है और उन्हें सदैव हर कार्य में पुरुषों के अपेक्षा कम ही माना जाता है।
6. भारत में महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है और असंगठित क्षेत्रों में यह समस्या और भी ज्यादा दयनीय है, खासतौर से दिहाड़ी मजदूरी वाले जगहों पर तो यह सबसे बदतर है।
7. समान कार्य को समान समय तक करने के बावजूद ' भी महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है और इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य के शक्ति असमानता को प्रदर्शित करते है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के तरह समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद पुरुषों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है।
8. महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएँ भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधाएँ है। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले वह काफी पीछे हैं।
9. भारत में महिला शिक्षा दर 64.6 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की शिक्षा दर 80.9 प्रतिशत है। काफी सारी ग्रामीण लड़कियाँ जो स्कूल जाती भी हैं, उनकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाती है और वह दसवीं कक्षा भी नही पास कर पाती हैं।
10. हालांकि पिछले कुछ दशकों सरकार द्वारा लिए गए प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति को काफी हद तक कम कर दिया गया है लेकिन 2018 में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट द्वारा पता चलता है, कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जल्द शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यस्क नही हो पाती हैं।[i]

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

1. भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।
2. शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.6 प्रतिशत ही है।
3. भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा अधिक रोजगारशील है, आकड़ो के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएँ मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती है।
4. हमारा देश काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते है, जब हम लैंगिग असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सके।
5. भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी केवल महिलाओं की है मतलब, पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरुरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पायेगा।
6. महिला सशक्तिकरण की जरुरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुषप्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वार कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है।
7. भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिये माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रुप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है लेकिन आज केवल यह एक ढोंग मात्र रह गया है।

8. पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार (काम करने की आजादी, शिक्षा का अधिकार आदि) को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।
9. पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिये सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। हालाँकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिये महिलाओं सहित सभी का लगातार सहयोग की जरुरत है।
10. आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज्यादा जागरुक है जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयं सेवी समूह और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे है।
11. महिलाएँ ज्यादा खुले दिमाग की होती है और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिये सामाजिक बंधनों को तोड़ रही है। हालाँकि अपराध इसके साथ-साथ चल रहा है।

भारत में महिलाओं के लिए चलाई गई योजना

भारत सरकार ने देश की महिलाओं के विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं. इन योजनाओं की मदद से सरकार महिलाओं की मदद कर उनका सशक्तिकरण करना चाहती हैं. वहीं इन योजना का बारे में नीचे जानकारी दी गई है।

नेशनल मिशन फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमन

इस मिशन को महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लक्ष्य से भारत सरकार ने शुरू किया था. 15 अगस्त 2011 को शुरू किए गए इस मिशन को राष्ट्रीय और राज्य दोनों लेवल पर शुरू किया गया था. इस मिशन की मदद से महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया जा रहा है।

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना

लड़कियों के कल्याण और उनकी पढ़ाई के प्रति लोगोंके बीच जागरूकता पैदा करने के लक्ष्य से बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना को शुरू करा गया था. साल 2015 में इस योजना की चलाया गया था. इस योजना के जरिए लड़कियों के परिवार वालों को उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कार्य महिला छात्रावास योजना

जो महिलाएं अपने परिवार से दूर रहकर कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी कामकाजी महिला को रहने की सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। महिला बिना किसी डर के सरकार द्वारा खोले गए इन छात्रावास में रहकर अपनी नौकरी जारी रख सकती है।

महिला हेल्पलाइन योजना

साल 2015 में शुरू की गई इस योजना को हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस योजना की मदद से घरेलू हिंसा से प्रभावित कोई भी महिला 24 घंटे टोल-फ्री टेलीकॉम सेवा पर फोन कर मदद मांग सकती है। कोई भी महिला कभी भी 181 नंबर पर फोन कर किसी भी प्रकार की सहायता पुलिस से ले सकती है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय आंगनवाड़ी योजना

ऑफिसों में काम करने वाली माताओं के लिए इस योजना को चलाया गया है। अक्सर कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर परेशान रहती हैं. इस योजना के जरिए कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को नर्सरी में छोड़ सकती है। जहां पर उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी. वहीं शाम को अपना काम खत्म करके महिलाएं अपने बच्चों को वापस अपने साथ घर ले जा सकती हैं. देखभाल की सुविधा के अलावा इन नर्सरियों में बच्चों को बेहतर पोषण, प्रतिरक्षण सुविधाओं, सोने के लिए सुविधा और इत्यादि सुविधा 11 of 15 प्रदान की जाती है।

स्वाधार गृह योजना

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष के ऊपर की आयु वाली लड़कियों को रहने के लिए आवास दिए जाते हैं. ये योजना उन लड़कियों के लिए चलाई गई है, जो कि बेघर हो गई हैं. आवास के अलावा इस योजना के अंतर्गत भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं और उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है।

वन स्टॉप सेंटर योजना

इस योजना की मदद से घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं इस हिंसा से ग्रस्त महिल को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहित अन्य सहायता भी दी जाती हैं. ये योजना महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

महिला सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका

प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरूष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुँमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी, महिला का सशक्तीकरण जरूरी है और सशक्तीकरण के लिए शिक्षा|

शिक्षा आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। दुनिया के जो भी देश आज समृद्ध और शक्तिशाली हैं, वे शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़े हैं। इसलिए आज समाज की आधी आबादी अर्थात महिलाएं जो कि विकास की मुख्य धारा से बाहर है, उन्हे शिक्षित बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग ने कहा है- "स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना किसी

समाज के लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों या पुरुषों मे से किसी एक को देने की विवशता हो, तो यह अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए, क्योकि ऐसा होने पर निश्चित रूप से वह शिक्षा उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुँच जाएगी।" इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात स्वीकार की गई है कि महिला शिक्षा का महत्व न केवल समानता के लिए, बल्कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी जरूरी है।

स्वतंत्रता के बाद सरकार, महिला संगठनों, महिला आयोगों आदि के प्रयासो से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले, उनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ा जिससे उनमें जागृति आई, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ परिणामस्वरूप वे प्रगतिपथ पर आगे बढ़ी। आज महिलाएं राजनीति, समाजसुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यावसायिक प्रबन्धन, शासन-प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला, संगीत, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पुरुषो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। एक ओर यह परिदृश्य अत्यधिक उत्साहवर्धक है परंतु वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पूरी दुनिया में स्कूल न जाने वाले 121 मिलियन बच्चों में 65 प्रतिशत लड़किया है। दुनिया के 875 मिलियन निरक्षर वयस्कों में दो तिहाई महिलाएं हैं। इसी प्रकार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत है जिसमें नगरीय क्षेत्र की महिला साक्षरता 72.99 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता 46.58 प्रतिशत है अर्थात भारत में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं अभी तक शिक्षा से वंचित हैं। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली बालिकाओं में से 24.82 प्रतिशत कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती और उन्हे विद्यालय छोड़ना पड़ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 50.76 प्रतिशत बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़ कर घरेलू कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। स्कूल का दूर होना, यातायात की अनुपलब्धता, घरेलू काम, छोटे भाई बहनों की देखरेख, आर्थिक व विभिन्न सामाजिक समस्यायें आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो कि बालिका शिक्षा की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

आज बालिका शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में करने की महती आवश्यकता है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। देश की विकासशीलता के परिवेश में विचार करना आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा किस प्रकार की हो? महिलाओं को मात्र साक्षर न बनाया जाए बल्कि उन्हें ऐसी व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए जो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मददगार सिद्ध हो । यदि महिलाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर हो सके तो उनको स्वयं का महत्व समझते देर नहीं लगेगी तथा धीरे-धीरे दूसरो की नजरों में भी उनका स्थान महत्वपूर्ण हो जाएगा। शिक्षित, आत्मनिर्भर, सशक्त महिलाओं के द्वारा ही भारत को एक सशक्त व विकसित देश के रूप में निर्माण कर पाना संभव हो सकेगा|

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति एवं उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है, जब तक महिलाओं में इस आत्मविश्वास का संचार नही होगा कि पुरुषों के समान ही महिलाएं भी इस सम्पूर्ण सृष्टि के सृजन व विकास के लिए जिम्मेदार है तब तक पूर्ण विकास असम्भव है, महिलाओ को सशक्त बनाना विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अगर एक परिवार की महिला शिक्षित व सशक्त होगी तो निश्चित ही उसका परिवार विकास करेगा. परिवार विकास करेगा तो निश्चित ही समाज व देश विकास करेगा, इसलिए अगर समाज में महिलाओं को सशक्त बनाना है तो सर्वप्रथम उनको समानता व निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए राष्ट्र निमार्ण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति अपनाई, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक कानूनी और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएँ एवं कानून बनाए गये हैं। भारत में कई महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण की राह में महत्वपूर्ण कदम उठाए है। जिस से प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आज सराहनीय भूमिका निर्वहन कर रही है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है, इस समानता को बनाए रखना है, अभी भी जिन क्षेत्रों में महिलाएँ जागरूक नहीं है उनको शिक्षा के द्वारा जागरूक बनाया जाय ताकि वे अपनी घरों की चार दीवारों से निकलकर सभ्य एवं विकसित समाज के निमाण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *इन्द्रराज सिंह, महिला सशक्तिकरण*
2. *किरण बडेहरा एवं जॉज फोरेथ ग्रामीण महिला सशक्तिकरण*
3. *पी. डी शर्मा, महिला सशक्तिकरण एवं नारीवाद*
4. *आशुतोष व्यास, महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवंसम्भावनाएँ*
5. *जया पाण्डेय, सूचना का अधिकार और महिला सशक्तिकरण*
6. *प्रेम नारायण वर्मा, वाणी विनायक, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण*

Website

1. *https://www.hindikiduniya.com/essay/women-empowerment-essay-in-hindi*
2. *https://www.successcds.net/hindi/essays/essay-on-women-empowerment-in-hindi.*
3. *https://www.deepawali.co.in/women-empowerment-theme-principles-activities-hindi*
4. *https://www.rachanakar.org/2017/04/blog-post_20*
5. *https://www.jagran.com/blogs/shashank2012*